

संख्या:- 4420

30/10/2015



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या :- K-1574/2015-16

फाइल संख्या :- K-35120

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि:- श्रीमती ललिता देवी दीनानाथ सचान

चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट, पता 113/18, स्वरूप नगर, कानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण-पत्र संख्या 837/2005-06

दिनांक.....29-09-2005.....को दिनांक.....29-09-2015.....से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000.00 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक:- 30-10-2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश।

भारतीय वैर न्यायिक

दस  
रूपये  
रु. 10

TEN  
RUPEES  
Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AE 797678

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्रीमती ललिता देवी देवानाथ सचान  
धैरि टेलर कपूकेशन इश्ट  
जिला कानपुर फाइल सं K 35/20  
के साथ संलग्न है



सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक  
फर्मस, सोसाइटीज तथा चिदस  
कानपुर

107/02/2020

संशोधित नियमावली  
(प्रभावी दिनांक 25.12.2019)

1. संस्था का नाम : श्रीमती ललिता देवी दीनानाथ सचान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट
2. संस्था का पूरा पता : 113/18 स्वरूपनगर कानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

संस्था को न्यूनतम रु0 1.50 लाख (रुपए एक लाख पचास हजार) धनराशि अर्पित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य कहलायेगा, ट्रस्ट की नीति निर्धारण करने तथा प्रबन्धकारिणी के दिशा-निर्देश तय करने में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। प्रबन्धकारिणी के किसी सदस्य द्वारा ट्रस्ट मण्डल के निर्णय के विपरीत कार्य करने पर ट्रस्ट मण्डल 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित सदस्य को पदच्युत कर नया सदस्य निर्वाचित कर सकता है किन्तु मुख्य ट्रस्टी को पदच्युत नहीं किया जा सकेगा, ट्रस्ट के सचिव का नामांकन मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

मृत्यु, पागलपन, दण्डित होना, दिवालिया होना, शुल्क न देना आदि। बहुमत से सदस्य का निष्कासन तथा उक्त के अतिरिक्त सदस्यों की सदस्यता निरन्तर बनी रहेगी।

7. संस्था के अंग :-

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा :-

अ) गठन :-

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

*Rajesh*

*Archana Saehar*

*RB SAEHAR* सत्य-प्रतिलिपि



ब) बैठकें—सामान्य व विशेष :-

साधारण सभा की सामान्य बैठकों को वर्ष में एक बार व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी ट्रस्ट निर्मात्री के अनुमोदन पर अथवा 2/3 सदस्यों की लिखित गाँग पर ट्रस्टी/सचिव द्वारा बुलायी जायेगी।

स) सूचना अवधि :-

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व देकर के बुलायी जायेगी।

द) गणपूर्ति :-

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को दो घंटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम 1/3 होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही बने रहेंगे।

य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेगा, जिसकी तिथि, समय व स्थान प्रबन्धसमिति द्वारा तय कर लिया जायेगा।

र) साधारण सभा के कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय व्यय बजट पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।



9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ) गठन :-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा, जिसमें एक ट्रस्ट निर्मात्री, एक ट्रस्टी/चैयरमेन/प्रबन्धक, एक ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष, एक ट्रस्टी/सचिव

वरि0 सहायक  
कर्मस, सोसाइटीज तथा चिटस  
कानपुर 20/10/2020  
Rajish Archana Sachar  
RBSACHAR

तथा 7 ट्रस्टी तथा शेष 4 प्रबन्धकारिणी सदस्य होंगे इस प्रकार कुल व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी। प्रबन्धकारिणी सदस्यों की संख्या अधिकतम 21 व न्यूनतम 07 की जा सकती है साधारण सभा द्वारा निर्वाचित प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी ही संचालित संस्थाओं के पदाधिकारी होंगे। संचालित संस्थाओं के सदस्यों का मनोनयन अलग से भी किया जा सकता है।

ब) बैठकें—सामान्य व विशेष :—

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों को वर्ष में दो बार व विशेष बैठकों का आवश्यकतानुसार कभी सूचना देकर के बुलाया जायेगा। बैठक बुलाने व उनकी सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार ट्रस्टी/सचिव को होगा।

स) सूचना अवधि :—

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर के बुलाया जायेगा।

द) गणपूर्ति :—

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी, किन्तु स्थगित बैठकों का कोरम 1/3 होगा। एजेण्डा के विषय पूर्ववत् ही बने रहेंगे।


य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :—


प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी।

र) कार्यकाल :— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

ल) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :—

1. संस्था का प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना तथा वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
3. संस्था के विवादों को सुलझाना।

  
Rajesh

  
Archana Sachar

12/05/2020

सत्य-प्रतिलिपि  
वरिष्ठ सहायक  
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
कानपुर 20.05.2020

4. उपसमितियों व उपनियमों को बनाना और उनके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन करना एवं केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विधायक निधि, सांसद निधि तथा अन्य श्रोतों एवं वित्तीय संस्थाओं, संस्थानों, बैंकों, दान दाताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्राइवेट सेक्टरों, नागरिकों से आर्थिक सहायता, ऋण, अनुदान, दान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अ) ट्रस्ट निर्मात्री :-

1. सभी प्रकार की बैठकों एवं सभाओं की अध्यक्षता करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
4. प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित त्यागों को स्वीकार करना।
5. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।

ब) ट्रस्टी/चेयरमैन/प्रबन्धक :-

1. संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना।
2. लिपिकों/प्रशिक्षकों/चपरासी/कर्मचारियों/आदि की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति वेतन वितरण वेतन वृद्धि एवं पदच्युत करना।
3. समस्त बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना।
5. संस्था की ओर से आवेदन पत्रों, बन्धक विलेखों आदि को भरना उन पर हस्ताक्षर करना।



Rajesh

Archana Sachan

12BSACHAN

सत्य-प्रतिलिपि



वरिष्ठ सहायक  
कर्म, सोसाइटीज तथा विद्वान  
कानपुर D.01/02/2020

6. संस्था की ओर से सगस्त भुगतान पत्रों एवं बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना।
7. संयुक्त स्टाफ की चरित्र पंजिकायें रखना उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्ट तैयार करना कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना।
8. संस्था की ओर से सगस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, अनुदान, ऋण चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उपलब्ध कराना।
10. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

स) ट्रस्टी/सचिव :-

1. सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना तथा कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
2. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित कराना तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
4. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
5. संस्था की चल अचल सम्पत्ति को संस्था हित में कय अथवा बिक्री करने का पूर्ण अधिकार सचिव को होगा तथा सचिव बिक्रीनामो ,कयनामो से सम्बन्धित दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

द) ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष :-

1. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना एवं, आडिट करना।
2. आय व्यय सम्बन्धित अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीदे देना।
4. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

Rajesh

Archana Sachan

वरिष्ठ सहायक  
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स  
कानपुर

20/02/2024

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधार सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा की जायेगी।

12. संस्था का कोष :-

संस्था के समस्त कोष को किसी राष्ट्रीयकृत/प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा कोष का संचालन संस्था के ट्रस्टी/चेयरमैन/प्रबन्धक एवं ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

आय के श्रोत :-

1. सदस्यता शुल्क द्वारा
2. सरकारी गैर सरकारी अनुदान
3. दान व चन्दा से
4. अन्य मदों से

13. संस्था का लेखा परीक्षण :-

संस्था के समस्त आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-


संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद की अदालती कार्यवाही संचालन संस्था के ट्रस्टी/चेयरमैन/प्रबन्धक द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत योग्य अधिवक्ता द्वारा की जायेगी तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जिला कानपुर नगर ही होगा।

15. प्रतिबन्ध

क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

  
Rajish

Archana Sachan  
RBSACHAN

सत्य-प्रतिलिपि  


वरिष्ठ सहायक  
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स  
कानपुर  
Date: 2/2020

ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ड) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान व अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे

छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उसका पालन किया जायेगा।

ज) विद्यालय द्वारा रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा यदि हों तो कृप्या प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन सभी प्रबन्ध कम से 1 से 8 तक स्वीकार है

झ) उपर्युक्त क्रम क से ज में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

  
Rajesh

Archana Sachan सत्य-प्रतिलिपि  
I R B SACHAN

वरिष्ठ सहायक  
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
कानपुर

12/10/2020

16. संस्था के अभिलेख :-

- (अ) सदस्यता रजिस्टर
- (ब) कार्यवाही रजिस्टर
- (स) एजेण्डा रजिस्टर
- (द) कैश बुक एवं लेजर
- (य) बाउचर फाइल व अन्य समग समय पर आवश्यकतानुसार।

17. संस्था का विघटन :-

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-25.12.2019

हस्ताक्षर-

राजेश व. शर्मा Archana Sachan  
Rajesh RB SACHAN



सत्य-प्रतिलिपि

वरि0 सहायक  
फार्म, सोसाइटीज तथा चिट्स  
कानपुर

10/10/2020

श्रीमती ललिता देवी दीनानाथ सचान चेरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट  
113/18 स्वरूप नगर, कानपुर ।  
प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष :-2019-2020

क्र० स०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसा
1	श्री जगत नन्दिनी सचान	पत्नी स्व० दीनानाथ सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	ट्रस्टी / ट्रस्ट निर्मात्री	व्यापार
2	श्री योगेश सचान	पिता स्व० दीनानाथ सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	मुख्य ट्रस्टी/ चेयरमैन /प्रबन्धक	व्यापार
3.	श्रीमती अर्चना सचान	पुत्री श्री सन्तोष सिंह पत्नी योगेश कुमार सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष	व्यापार
4	श्री सौरभ सचान	पिता श्री योगेश कुमार सचान	दीनानाथ सचान एण्ड कम्पनी , चौराहा, घाटमपुर , कानपुर	ट्रस्टी/सचिव	व्यापार
5	श्री राजेश सचान	पिता स्व० गया प्रसाद सचान	सी० 3 -7 मिशन कम्पाउन्ड(स्टेनली रोड, इलाहाबाद )	ट्रस्टी	सर्विस
6.	श्री किशन लाल गुप्ता	पुत्र श्री ब्रजलाल गुप्ता	म०न० 236/7-सी इण्डस्ट्रियल ऐरिया-ए, मिलरगंज , लुधियाना , पंजाब	ट्रस्टी	व्यापार
7	श्री आर० वी० सचान	पिता श्री सुखदेव सचान	श्री साई सन्देश , को० अप० हाउसिंग सोसाइटी , प्लॉट न० आर एच 49, फ्लैट न० 2 रेजिडेन्सियल , जोन (एम० आई०डी० सी० ) डोम्बीवली , (ईस्ट ) जिला थाना (महाराष्ट्र)	ट्रस्टी	सर्विस


श्रीमती अर्चना सचान

श्री जगत नन्दिनी सचान

श्री योगेश सचान

श्रीमती ललितादेवी दीनानाथ सचान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट कानपुर  
साधारण सभा सदस्यो की सूची वर्ष 2019-20

क म	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्री जगत नन्दिनी सचान	पत्नी स्व० दीनानाथ सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	ट्रस्टी / ट्रस्ट निर्मात्री	
2	श्री योगेश सचान	पिता स्व० दीनानाथ सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	मुख्य ट्रस्टी/ चेयरमैन /प्रबन्धक	
3	श्रीमती अर्चना सचान	पुत्री श्री सन्तोश सिंह पत्नी योगेश कुमार सचान	113/18 स्वरूप नगर , कानपुर	ट्रस्टी/कोषाढ यक्ष	
4	श्री सौरभ सचान	पिता श्री योगेश कुमार सचान	दीनानाथ सचान एण्ड कम्पनी, चौराहा, घाटमपुर , कानपुर	ट्रस्टी/सचिव	
5	श्री राजेश सचान	पिता स्व० गया प्रसाद सचान	सी० 3 -7 मिशन कम्पाउन्ड (स्टेनली रोड इलाहाबाद )	ट्रस्टी	
6	श्री किशन लाल गुप्ता	पुत्र श्री ब्रजलाल गुप्ता	म०न० 236/7-सी, इण्डस्ट्रियल एरिया -ए, मिलरगंज, लुधियाना, पंजाब	ट्रस्टी	
7	श्री आर० बी० सचान	पिता श्री सुखदेव सचान	श्री साई सन्देश , को० अप० हाउसिंग सोसाइटी , प्लाट न० आर एंच 49, फ्लैट न० 2 रेजिडेन्सियल, जोन (एम० आई०डी०सी०) डोम्बीवली, (ईस्ट) जिला थाना (महाराष्ट्र)	ट्रस्टी	

॥  
योजना  Archan Saehan  
RBSA...  
Regist